न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–373 / 2017

लालचन्द पुत्र श्री नारायण, जाति जाट, निवासी देवगांव, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

– अपीलान्ट –

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र कल्याण
2. कल्याण पुत्र रामचन्द
3. नाथी पत्नी स्व0 रामलाल समस्त जाति जाट, निवासी देवगांव, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
4. बजरंग लाल पुत्र रामलाल
5. रामजीवण पुत्र रामलाल
6. रामकरण पुत्र रामचन्द्र
7. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स –

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1–श्री शिशुपाल जाट अपीलांट की ओर से।

2– श्री निर्मल कुमार जैन रेस्पोडेंटस की ओर से।

अपील संख्या :– 505 / 2017

1. रामकरण पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी ग्राम देवगांव, ग्राम पंचायत हिंगोनिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर राजस्थान।

–अपीलार्थी / वादी–

बनाम

1. लालचन्द पुत्र नारायण
2. शंकरलाल पुत्र कल्याण
3. सीतादेवी पत्नी शंकरलाल
4. बजरंग लाल पुत्र रामलाल

जाति जाट, निवासी ग्राम देवगांव, तहसील चाकसू, जिला जयपुर राज0।

5. रामजीवन पुत्र रामलाल
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय चाकसू, जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1–श्री रविन्द्र शर्मा अपीलांट की ओर से।

2–श्री शिशुपाल जाट रेस्पोडेन्ट सख्या 1 की ओर से ।

3– श्री निर्मल कुमार जैन रेस्पोडेंट सख्या 2 लगायत 5 की ओर से।

:– **निर्णय** :– दिनांक :–16–03–2018

1– उक्त दोनों अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 9–5–2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी चाकसू दिनांक 09.05.2017 मिसल संख्या 27/2010 एवम 38/2017 उनवानी लालचन्द बनाम शंकरलाल वगैरह एवं रामकरण बनाम लालचन्द वगैरह प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों में वादग्रस्त भूमि समान होने से निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

2– **अपील सख्या 373/2017 में** संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के समक्ष एक वद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि ग्राम देवगांव तहसील चाकसू जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 6 रकबा 0.26 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.13 हैक्टै0, खसरा नम्बर 10 रकबा 2.95 हैक्टै0, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.16 हैक्टै0, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.04 हैक्टै0, कुल किता 5 कुल रकबा 3.54 हैक्टै0 के वादी काबित रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, तथा इस भूमि के सेटलमैन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 1/1/1 रकबा 14 बीघा था जो गोविन्द प्रकाश पुत्र शम्भूदयाल जाति ब्राह्मण खातेदार से अपीलार्थी/वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर भौतिक कब्जा प्राप्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, तथा वादग्रस्त भूमि के सींव जोड उत्तर दिशा में वादी तथा प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 50 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा है जिसकी 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण के पूर्वज रामचन्द्र पुत्र बेंदा तथा 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी तथा उसके भाई बोदू व गोपाल पुत्रान नारायण के नाम थी तथा बाद में वादी के भाई गोपाल नाऔलाद फौत होने से व बोदू ने हक त्याग करने से 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण के वादी खातेदार थे तथा 1/2 हिस्से के प्रतिवादीगण खातेदार थे। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 50 के सेटलमेन्ट के पश्चात् हाल खसरा नम्बर 265 से 276, 278 से 293 व खसरा नम्बर 292/489 बनाये जिसकी खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम शामिल दर्ज चली आ रही है, तथा साबिक आराजी खसरा नम्बर 1/1/1 रकबा 14 बीघा के हाल खसरा नम्बर 6,7,10,11,10 किता 5 रकबा 3.54 हैक्टै0 खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। तथा वह इसी अनुसार काबिज काश्त है लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने वादी की खातेदारी भूमि का नक्शा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी से कम का बना दिया। जिसको वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है, तथा वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 50 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा के हाल बिस्वा का बना हुआ है जो 4 बीघा खातेदारी से अधिक है तथा वादी ने अपनी खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 1/1/1 के हाल खसरा नम्बर 6, 7, 10, 11, 12 व वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 50 व हाल खसरा नम्बरों के राजस्व रक्शे से रकबा बरारी करवायी तो संयुक्त खातेदारी का राजस्व नक्शों की भूमि 24 बीघा 12 बिस्वा के बजाय

28 बीघा 12 बिस्वा थी जो राजस्व रिकॉर्ड से 4 बीघा बढी हुई है जबकि वादी व प्रतिवादी आपस में मनबट के आधार पर अपनी–अपनी खातेदारी के अनुसार काबिज काश्त है तथा वादी अपनी खातेदारी अनुसार पूर्ण रकबा 3.54 हैक्टै0 पर काबिज काश्त चला आ रहा है। लेकिन राजस्व नक्शा खातेदारी से 4 बीघा कम का बना हुआ है तथा वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी का नक्शा मौके व रिकॉर्ड से 4 बीघा भूमि का अधिक बना हुआ है। इसलिए यह वाद राजस्व नक्शे में दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री जिसका वर्णन वाद पत्र के मद नम्बर 5 में किया गया है का नक्शा राजस्व रिकॉर्ड के दर्ज रकबे से 4 बीघा अर्थात 1.00 हैक्टै0 बढा हुआ बना है उसको कम करके वादी की खातेदारी भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र के मद नम्बर 1 में किया गया है उस राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी के रकबे के अनुरूप दुरूस्त कराया जावे, व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे। वाद दर्ज कर नोटिस प्रतिवादीगण को जारी किये गये। उक्त दावा व जवाबदावों के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया सरकारी कर्मचारियों ने वादी की खातेदारी भूमि या नक्शा पूर्व से छोटा बना दिया।

–वादी–

2. आया वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि का राजस्व नक्शा सैटलमेन्ट के दौरान बढा दिया गया।

–वादी–

3. आया वादग्रस्त आराजी का नक्शा सेटलेमेन्ट से पूर्व संवंत 2004 के पहले से भी समान था जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया।

4. आया वादी ने एक अन्य दावा बोदूराम बनाम कल्याण प्रस्तुत कर रखा है जिनमें नक्श बाबत् अलग–अलग कथन होने से वादी का दावा मैलाइड इन्टेशन से होने के कारण खारिज होने से योग्य है।

–प्रतिवादीगण–

5. अनुतोष

अपीलाधीन न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में दिनांक 09.05.2017 को वादी की अनुपस्थिति में वाद खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2017 पत्रावली में वर्णित तथ्यों व विधि विधान के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.08.2012 से कायमी तनकियात में नियत थी तथा दिनांक 09.01.2017 को तनकी बनानी है या नहीं पर बहस सुनी गयी तथा जिस पर दिनांक 16.01.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया कि वाद पत्र व जवाब सरकार व प्रतिवादीगण के जवाब दावे में विशेष आपत्ति अंकित की गई है। जिसको तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत लिये जाकर ही निस्तारण किया जाना उचित समझते

हैं और उस आदेश की अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा चार तारीख पेशी पश्चात् दिनांक 28.03.2017 को तनकियात कायम की गई, इसके पश्चात् भी विचारण न्यायालय ने स्वयं के द्वारा पारित आदेकश की अनदेखी कर बिना साक्ष्य सबूत लिये रेस्पोडेंट को फायदा पहुंचाने की नियत से जल्दबाजी में जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 13.04.2017 में यह स्पष्ट उल्लेख किया कि पक्षकारान वकील ने जाहिर किया कि अन्य वाद से संबंधित वाद संख्या 38/2017 आज की तारीख पेशी में है उसे अन्य वाद के साथ हमफीता की जावें। दोनों पक्षों को सुनकर व पत्रावली का अवलोकन कर इस वाद को अन्य वाद संख्या 38/17 के साथ हमफीता की जाती है, के आदेश पारित किये थे। इसलिए कानूनन पत्रावलियों को हमफीता किया जाकर दोनों की संयुक्त तनकियात कायम की जाकर दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही कानूनन निर्णय पारित किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.04.2017 को वादी व उसके अधिवक्ता की सहमति के बिना ही साक्ष्य नहीं कराना चाहते का अंकन कर साक्ष्य वादी बंद की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु पत्रावली दिनांक 18.04.2017 नियत कर दी जो सरासर न्यायिक प्रक्रिया का उल्लघंन कर रेस्पोडेंट को फायदा पहुंचाने की नियत से अवैध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादी व प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित है व दोनों पक्षों को सुना गया ऐसा कथन अंकित किया है जबकि उक्त आदेशिका पर वादी व वादी के अधिवक्ता के कही पर भी हस्ताक्षर नहीं है तथा वादी की अनुपस्थिति को उपस्थिति बताकर मनमाना निर्णय पारित किया है। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में यह बखूबी स्पष्ट था कि वादी की खातेदारी की भूमि मुताबिक रिकॉर्ड नक्शे में 1.18 हैक्टे0 भूमि कम है तथा वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती खाते में दर्ज भूमि रिकॉर्ड में दर्ज नक्शे में 0.96 हैक्टै0 रकबा अधिक होता है। उक्त जवाब से स्पष्ट था कि भूमि विवादग्रस्त के नक्शा ट्रेस में वादी का रकबा कम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादी द्वारा अपना दावा साबित नहीं करने के कारण खारिज किया गया है जबकि अपीलार्थी/वादी द्वारा अपने वाद पत्र में किये गये अभिवचनों के समर्थन में जमाबन्दी, नक्शा शीट, मिलान क्षेत्रफल एवं पडौसी खातेदारों की भूमि की जमाबन्दी व नक्शा संबंधी रिकॉर्ड पेश किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ हमफीता वाद संख्या 38/17 उनवानी रामकरण बनाम लालचन्द में वादी द्वारा किये गये अभिवचनों से भी वादी अपीलार्थी के वाद की पुष्टि बखूबी साबित थी।लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त हमफीता वाद को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।उक्त कथन कर अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2017 खारिज किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वाद डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4— अपील सख्या 505/2017 में अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 09.05.2017 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं

दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने व परवर्श होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक दूसरे वाद लालचन्द बनाम शंकरलाल में प्रस्तुत जवाब सरकार को आधार बताकर दोनों दावों को एक समान बताते हुए सरसरी तौर पर ही खारिज कर दिया जबकि कानूनन दोनों दावे में ना तो पक्षकार समान है, ना वाद हेतुक, ना चाहा गया अनुतोष, ना ही वादग्रस्त सम्पत्ति एक समान है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकॉर्ड देखे, बिना मिलान किये एक तरफा रूप से उक्त निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त होने येाग्य है। उक्त दावा वादी ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 14 से 21, 176/469, 277, 278/468 कुल किता 11 कुल रकबा 3.01 हैक्टै0 वाके ग्राम देवगांव तहसील चाकसू के बाबत यह कहते हुए प्रस्तुत किया था कि वादी का राजस्व नक्शा जमाबन्दी की तुलना में छोटा है तथा प्रतिवादीगण की लगवा भूमि का नक्शा बडा है जबकि दोनों पक्षों के साबिक नक्शे ठीक थे तथा पक्षकार साबिक नक्शे अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। शामलाती भूमि के नक्शे को बढाया गया है इस कारण नक्शा दुरूस्त किया जावे। दावे में प्रतिवादी नम्बर 1 की तलबी होनी थी तथा प्रतिवादी नम्बर 2 से 5 ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 1 का दूसरा दावा लालचन्द बनाम शंकर लाल के नाम से अलग चल रहा है। उसमें प्रतिवादी अपनी भूमि को कम बता रहा है तथा शामलाती को ज्यादा बता रहा है दोनों दावों में वादीगण की भूमियां पृथक–पृथक थी किन्तु जिस शामलाती भूमि से नक्शा दुरूस्ती चाही थी वो दोनो दावों में एक समान थी ऐसे में दोनों दावों को एक साथ सुनवाई हेतु रखना तय हुआ था किन्तु इसका तात्पर्य केवल यह था कि दोनों दावे एक ही दिन एक साथ सुनवाई में रखे जावेंगे। दोनों की आदेशिकाएं अलग–अलग चलेगी ऐसे में वादग्रस्त प्रकरण में कभी भी ना तो जवाब सरकार आया, ना ही प्रतिवादी नम्बर 1 का जवाब आया तथा उक्त दुसरे दावे में प्रस्तुत जवाब सरकार का हवाला देते हुए इस दावे को भी खारिज कर दिया गया इस कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है। वादी का समस्त रूप से दावा था कि उसकी वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 1/3 रकबा 12 बीघा थे जिसकी तरमीम सही थी किन्तु भू–प्रबन्ध के पश्चात् वर्तमान नक्शे को 12 बीघा के स्थान पर 10 बीघा 10 बिस्वा का बना दिया तथा शामलाती भूमि का रकबा बढा दिया तथा जो शामलाती भूमि का रकबा बढाया है वह वादी का ही भाग है। प्रतिवादी नम्बर 1 मिथ्या तथ्यों पर उसे अपने में मिलाना चाहता है जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 कर मूल नक्शा अलॉटमेन्ट के समय से लेकर आज तक एक समान है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 नया क्रेता है उसने उतनी ही भूमि क्रय की है जितनी विक्रेता के पास थी किन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 मिथ्या तथ्यों पर एक अन्य दावा लालचन्द बनाम शंकरलाल में डिक्री करवाकर शामलाती भूमि के ज्यादा रकबे को अकेले अपने नाम करवाना चाहता है। प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि कम नहीं हुई है बल्कि वादी की भूमि कम हुई है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय को समस्त पक्षों को सुनकर, गवाह बयान लेकर साबिक व वर्तमान नक्शे का तुलात्मक अध्ययन करके ही निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी नम्बर 1 के दावे में प्रस्तुत जवाब सरकार के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 1 के दावे लालचन्द बनाम शंकरलाल को खारिज करते हुए वादी का दावा भी उसी जवाब सरकार के

आधार पर खारिज कर दिया जबकि उस जवाब सरकार के आधार पर केवल प्रतिवादी नम्बर 1 के अन्य दावे लालचन्द बनाम शंकर लाल को ही खारिज किया जाना था तथा हाल दावे को प्रतिवादी नम्बर 1 के जवाब व जवाब सरकार में नियत किया जाना चाहिए था। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मिथ्या व गलत होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त कथन कर अपीलान्टस द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.05.2017 को अपास्त किया जाने तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाने का अनुतोष चाहा गया।

5— दोनो अपील क्रमशः 373/2017 व 505/2017 पर दर्ज रजिस्टर की गई।रेस्पोडेंट्स को तलब किया जाकर तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

6—अपील सख्या 373/2017 के अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा कथन किया गया कि प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है।वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन व विवेचन नहीं किया गया है तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट था कि वादी की भूमि का राजस्व नक्शा कम क्षैत्रफल का बनाया गया है जबकि शामलाती कृषि भूमि का राजस्व नक्शा अधिक क्षैत्रफल का बनाया हुआ है तथा उक्त अधिक क्षैत्रफल को वादी के नक्शें में शामिल कर उसी अनुसार नक्शाा दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित करने चाहिए थे जो कि नहीं किये गये अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

7— अपील सख्या 505/2017 के अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा जो अपील सख्या 373/2017 में रेस्पोडेन्ट सख्या 06 है द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुए कथन किया गया कि उनके प्रकरण में समुचित सुनवाई नहीं की गई है तथा अपील सख्या 373/2017 के अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में दिये गये जवाब सरकार के आधार पर उनका वाद भी खारिज कर दिया गया। वास्तव में शामलाती भूमि के राजस्व नक्शे में जो ज्यादा क्षैत्रफल दिखाया गया है वह अपीलान्ट की कृषि भूमि से संबंधित है तथा उसी अनुसार अपीलान्ट के राजस्व नक्शे को दुरूस्त किया जाने के आदेश प्रसारित किये जाने चाहिए थे जो कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को समुचित साक्ष्य व सुनवाई के आधार पर अपीलान्ट वादी के वाद का निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये जावे।

8—उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील सख्या 373/2017 के ओलान्ट वादी द्वारा वाद सख्या 27/2010 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उनकी खातेदारी में स्थित कृषि भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 3.54 हैक्टेयर ग्राम देवगॉव में स्थित है जिसका साबिक खसरा नम्बर 1/1/1 रकबा 14 बीघा था। उक्त भूमि के सीव जोड उत्तर दिशा में वादी तथा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर

50 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा स्थित है जिसके वर्तमान में कुल 29 खसरा कायम किये गये है।परन्तु नक्शा 24 बीघा 12 बिस्वा के स्थान पर 28 बीघा 12 बिस्वा का बना दिया गया है तथा वादी की भूमि का राजस्व नक्शा 4 बीघा कम का बना दिया गया है अतःसाबिक खसरा नम्बर 50 से बने नये खसरा नम्बरान के नक्शे को दुरूस्त किया जाकर वादी के नक्शे को जमाबंदी में अंकित खातेदारी भूमि के समकक्ष किया जावे। इसी प्रकार अपील सख्या 505/2017 के अपीलान्ट वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद सख्या 38/2017 प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि उनकी खातेदारी में कुल किता 11 कुल रकबा 3.01 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो साबिक खसरा नम्बर 1/3 से बनी हैं। वर्तमान में राजस्व नक्शा 12 बीघा के स्थान पर 10 बीघा 10 बिस्वा का बना दिया गया है तथा पडौस में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि खाता नम्बर 41 के कुल किता 49 का कुल रकबा 15.63 हैक्टेयर में राजस्व नक्शा अधिक क्षैत्रफल का होने से उसे दुरूस्त किया जाकर वादी के नक्शे को जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुसार दुरूस्त किया जावे।चूंकि दोनों वाद–पत्रों में जिस भूमि में से राजस्व नक्शे को दुरूस्त किया जाकर वादीगण द्वारा भूमि चाही गई थी वह एक ही होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों की सुनवाई एक साथ की गई।प्रकरण सख्या 27/2010 में जवाब सरकार के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि " जवाब सरकार पेश किया जा चुका है जवाब सरकार अनुसार दावे के मद नम्बर–10 में वर्णित तथ्यों के अनुसार रकबे की कमी बेशी कैसे की जावे सिद्ध करने का दायित्व वादी का है क्योंकि गत खसरा नम्बर 1/1/1 तथा सैटलमेंट के नक्शे के मुताबिक ही हाल नक्शा बनाया गया है नक्शे में कोई अन्तर नही है, इस प्रकार जवाब सरकार व दावे का गहनता से परिक्षण किया गया तो वादी द्वारा कमी बेशी कहॉ से की जावेगी नहीं बताया गया जबकि जवाब सरकार अनुसार गत खसरा नम्बर 1/1/1 के सैटलमेंट के नक्शे के मुताबिक ही हाल नक्शा बनाया गया है नक्शे में कोई अंतर नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादी साबित नही कर पाने के कारण दावा खारिज किया जाता है," वादी का वाद खारिज किया गया है। प्रकरण सख्या 38/2017 के निर्णय में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है कि " वाद से संबंधित एक वाद 27/2010 लालचन्द बनाम शंकर लाल का विचाराधीन होने व दोनों वादों में एक ही रिलिफ होने व जवाब सरकार लालचन्द बनाम शंकर लाल में पेश होने एवं दावा वादी जवाब सरकार अनुसार खारिज किये जाने से उक्त वाद भी दोनों वाद समान होने से दावा वादी खारिज की जाती है,"। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों दावों को एक साथ निस्तारित किया गया है तथा जवाब सरकार के आधार पर किया गया है।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जवाब सरकार में स्पष्ट लिखा है कि वादी व प्रतिवादी की शामलाती खाते में दर्ज भूमि का रकबा नक्शे अनुसार 0.96 हैक्टेयर अधिक होता है। साथ ही वादी की भूमि का नक्शा खातेदारी भूमि से 1.18 हैक्टैयर कम का बना हुआ है। न्यायालय को समस्त विवादित भूमि की पैमाईश टीम गठित कर करवाई जानी चाहिए थी तथा मौके पर उभयपक्ष के कब्जे काश्त की जॉच कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जबकि न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर सरसरी तौर पर वादी का वाद खारिज किया

गया है। चूंकि दोनों दावो में जिस भूमि में से रकबा चाहा गया है वह एक ही खाते में स्थित है इसलिये दोनों दावो का निस्तारण भी एक साथ किया जाना उचित है।वाद सख्या 38/2017 में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है तथा मात्र दूसरे दावे के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया है दोनों प्रकरणों में संयुक्त रूप से जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के अनुसार ग्राम देवगॉव की खाता सख्या 31,32 एवम जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता सख्या 2 वादग्रस्त हैं।उक्त खातों में स्थित कुल भूमि की पैमाईश टीम गठित कर करवाई जाने के उपरान्त ही विवाद का वास्तविक निपटारा संभव है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई दोनों अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09–05–2017 अन्तर्गत वाद सख्या 27/2010 एवं 38/2017 निरस्त किये जाने योगय है।

9– अतः दोनों अपील क्रमशः 373/2017, 505/2017 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09–05–2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों प्रकरणों को हमफिता किया जाकर तथा वादग्रस्त तीनों खातों की भूमि की पैमाईश टीम गठित कर खसरावार करवाई जाकर तथा मौके की कब्जा काश्त की स्थिति से मिलान किया जाकर एवं उभयपक्ष को सुना जाकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित किया जावे।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

10– निर्णय आज दिनांक 16–03–2018 को सुनाया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर